

राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल पुत्र सिकत्तर सिंह, निवासी : ग्राम बम्हौरा सहित श्री एस.एस.तोमर अधि. ने उपस्थित होकर स्वयं का उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत किया।

प्रकरण आज जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रमांक 136/1987 पुलिस मौ विरुद्ध महेन्द्र सिंह में दिनांक : 17/03/1990 को धारा 389 द.प्र. सं. के अन्तर्गत जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल द्वारा प्रस्तुत जमानत के पालन में आरोपी महेन्द्र को उपस्थित ना रख पाने के कारण दिनांक : 19/06/2006 को इस न्यायालय द्वारा जमानत की समस्त राशि 2,000/- रुपये राजसात की जाने के आदेश के पालन हेतु नियत है।

अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अपराधिक प्रकरण क्रमांक 136/1987 पुलिस मौ विरुद्ध महेन्द्र सिंह में जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल द्वारा आरोपी महेन्द्र सिंह की धारा 389 द.प्र.सं. के अन्तर्गत 2,000/- रुपये की जमानत दी गई थी, परन्तु उक्त जमानत के पालन में जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल आरोपी महेन्द्र को नियत तिथियों पर उपस्थित करने में असफल रहा था, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक : 19/06/2006 के आदेश के पालन में 2,000/- की जमानत की समस्त राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया गया था, जिसके पालन में जमानतदार गुरुदयाल उर्फ गुरुदेव द्वारा जमानत की समस्त राशि 2,000/- रुपये आज न्यायालय में रसीद क्रमांक **97** बुक क्रमांक **6903** पर जमा की गई। जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल की पहचान श्री एस.एस.तोमर अधिवक्ता द्वारा की गई।

रसीद की पावती जमानतदार गुरुदेव उर्फ गुरुदयाल से ली गई।

जमानतदार द्वारा समस्त राशि 2,000/- रुपये जमा कर दिये जाने के कारण समस्त राशि वसूल हो जाने के कारण वसूली संबंधी हस्तगत प्रकरण की कार्यवाहियाँ इसी प्रास्थिति पर समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पंकज शर्मा
जे.एम.एफ.सी., गोहद